न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2016 निगरानी निग-2036-PBR/16

घीसालाल पिता किशनलाल, जाति भाट,

निवासी–ग्राम आमली भाट, तहसील जावद जिला नीमच

.......आवेदक

प्रार्थी अभिभाषक श्री दिनेश व्यास
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 20/1/16
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

---विरूद्ध--

1– प्रभुलाल पिता नारायणजी,

2– सोहनबाई पति प्रभुलाल, जाति बलाई,

निवासीगण–बंड पिपलिया तहसील मल्हारगढ

जिला मन्दसौर ....अनावेदक

पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 10/अ–11/15–16 में पारित प्रोसेडिंग आदेश दिनांक 26/05/2016 जिस पर राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर हैं से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

01. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

02. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने आवेदक द्वारा उठाई गई वैधानिक आपत्तियों पर कोई विचार न करते हुए रेकार्ड के विपरीत जाकर आदेश पारित करने में महान वैधानिक त्रुटि की है ।

03. यह कि, आवेदक भूमि सर्वे क्रं. 28 का पड़ोसी कृषक हैं अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा जारी किये गये सीमांकन आदेश में आवेदक को कोई सूचना पत्र जारी नही किया है एवम् आवेदक की पीठ पीछे एकपक्षीय रूप से पंचनामा बनाकर सीमांकन रिपोर्ट तैयार की गई है जो प्राथमिक दृष्टि में ही विधि, विधान एवम् प्रावधानों के विपरीत है ।

04. यह कि, राजस्व निरीक्षक द्वारा जो सीमांकन किया गया हैं वह सीमांकन भी विधिवत् नही किया गया है तथा अवैधानिक तरीके से बिना स्थायी चिन्हों के सरसरी तौर पर

(180)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2036-पीबीआर/16 **जिला-** नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	